परिशिष्ट – अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 402

क्रमांक	भोपाल संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2014–15 में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों की संख्या	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2015–16 में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	सीहोर	5833	6555
2	भोपाल	8458	9452
3	रायसेन	4551	4885
4	राजगढ़	5393	5859
5	विदिशा	5002	5425

अवर सचिव (अनुभाग अधिकारी)
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

(11.)

परिशिष्ट 'ब'

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/2/2/129/2016/20-2 भोपाल दिनांक 19/1/16

प्रति,

कलेक्टर
जिला– छिंदवाड़ा म.प्र.

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत बी. पी. एल. सूची से नाम हटाये जाने पर बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में।

सन्दर्भः–आपका अर्द्ध शा.पत्र कमांक/1794/जिशिके/आरटीई/2015/छिंदवाड़ा दिनाँक 30/10/2015।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस पत्र द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अर्न्तगत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में बी. पी. एल. श्रेणी के प्रवेशित बच्चों के परिवार के मुखिया का नाम यदि प्रवेश से तीन वर्ष बाद में बी. पी. एल. सूची से हटा दिया जाता है तो, ऐसे बच्चों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी या नही।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि यदि परिवार के मुखिया का नाम बी. पी. एल. सूची से पात्र न होने के कारण हटा दिया गया है, तो उस स्थिति में विद्यालय को प्रवेशित बच्चे की फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी। संबंधित बच्चे का विद्यालय में प्रवेश बनाये रखने हेतु उसके पालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति की जानी होगी। परंतु यदि कोई छात्र वंचित समूह वर्ग के अंतर्गत आता है और उसके अभिभावक का बी.पी.एल. का प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है, तो उस स्थिति में छात्र वंचित समूह का होने के कारण उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान का लाभ मिलेगा और उसकी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी।

15/1/16
(पी.के.सिंह)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा

पृ. क्रमांक/43/129/2016/20-2 भोपाल, दिनांक 19/1/16

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/1/16
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग